<u>जला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 330/2015
देसरी **थाना कांड संख्या 118/2015**

दिनांक 28.05.2025

एक मात्र अभियुक्त की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया जिसे आज भर के लिए स्वीकृत किया गया। साक्षी अनुपस्थित हैं दिनांक 05.05.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया था।

'अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर रवि कुमार प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसरी तथा छोटन राम चौधरी स0अ0नि0 तथा विनोद कुमार पु0अ0नि0 तत्कालीन थानाध्यक्ष देसरी की गवाही अभियोजन द्वारा कराना शेष रह गया है। जबकि इस वाद में अन्य सभी गैर सरकारी साक्ष्यिों का साक्ष्य हो चुका है। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त साक्षियों को प्रस्तुत करे। **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पुनः उपरोक्त साक्षियों पर सम्मन निर्गत करे। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली एवं थाना प्रभारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।'**

उपरोक्त आदेश का कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया परंतु आज भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त साक्षियों को अविलम्ब प्रस्तुत करे। कार्यालय को पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली, सिविल सर्जन वैशाली एवं थाना प्रभारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।

दिनांक 12.06.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy Not Official